

E. MAIL

सर्वोच्च प्राथमिकता / फ़ैक्स / समयबद्ध

संख्या : प्र0स0-11 / छ:-पु-3-2013-519 / 1998 टी0सी0

प्रेषक,

आर0एम0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
- 3-समस्त जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस उप महानिरीक्षक।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक: 10 जुलाई, 2013

विषय:-विस्फोटक पदार्थ(आतिशबाजी सहित) के निर्माण, उसके क्रय-विक्रय एवं अन्तरण आदि पर प्रभावी नियन्त्रण एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।

महोदय,

उक्त के संबंध में सूच्य है कि दिनांक 05.07.2013 को जनपद-बागपत एवं शाहजहाँपुर उ0प्र0 में आतिशबाजी फ़ैक्ट्री में पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में हुए विस्फोट की घटना के फलस्वरूप 04 लोगों की मृत्यु एवं अनेक घायल हुए हैं। अतः प्रदेश में पटाखों की बिक्री हेतु विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी व्यवसायियों द्वारा अनुमन्य क्षमता एवं निर्धारित मानकों से अधिक निर्माण, भण्डारण एवं परिवहन की प्रबल संभावनाओं के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर विस्फोटक अधिनियम-1884 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थों के निर्माण/भण्डारण/परिवहन एवं विक्रय करने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के परिसर का निरीक्षण एवं सत्यापन कराने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाना अति आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि विस्फोटक/आतिशबाजी का व्यवसाय एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है, जिसके संबंध में जनपद में स्थित विस्फोटकों की दुकानों/लाइसेंसधारकों का निरीक्षण समय-समय पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त नियमित निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी का इस तथ्य से आश्वस्त होना है, कि विस्फोटकों के व्यवसायियों/लाइसेंसधारकों द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप अनुमन्य क्षमता के अनुसार उक्त व्यवसाय का संचालन सुरक्षित रूप से वास्तविक लाइसेंस/पार्टनर द्वारा ही किया जा रहा है।

3. अतः उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15 जुलाई, 2013 से 30 जुलाई, 2013 के मध्य एक विशेष अभियान चलाकर विस्फोटक अधिनियम-1884 के सुसंगत

प्राविधानों के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थों के निर्माण/भण्डारण/विक्रय करने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के परिसर का निरीक्षण एवं सत्यापन कराने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराई जाये।

4. उक्त लाइसेंसों/प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं को समाहित किया जाना है:-


- (1)-विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) का भण्डारण आबादी के मध्य में है या आबादी से हटकर। यदि आबादी के मध्य में है, तो उसे वहाँ से अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल समुचित कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- (2)-विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) के निर्माण/भण्डारण की जितनी मात्रा लाइसेंस पर अंकित है, उसी के अनुसार ही निर्माण/भण्डारण की कार्यवाही किये जाने की सूक्ष्मता से जाँच की जाय।
- (3)-अग्निशमन विभाग द्वारा व्यवसायिक स्थल की समुचित सहमति प्राप्त होने तथा अग्निशमन विभाग द्वारा विस्फोट अथवा आगजनी रोकने हेतु किये गये सुरक्षा उपायों का अनुज्ञापी द्वारा पालन किये जाने के संबंध में गहनतापूर्वक जाँच की जाय।
- (4)-लाइसेंसधारकों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुसंधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने की स्थिति में तत्काल निरोधात्मक आदेशों का पालन संबंधित थाने/पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाय।
- (5)-विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) का निर्माण/भण्डारण किसी सार्वजनिक स्थल/स्कूल/कालेज/मार्केट/धार्मिक स्थल के निकट तो नहीं है? यदि ऐसे स्थल के समीप है, तो वहाँ से विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) का निर्माण/भण्डारण सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।
- (6)-विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी का अवैध निर्माण/भण्डारण/विक्रय में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित/विधिक कार्यवाही करते हुये विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा-9 बी व 9 सी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा-3, 4 व 5 तथा भा0दं0वि की धारा 107, 108, 120ए, 120बी एवं 336 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।

5. उक्त के अतिरिक्त विनिर्मित विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी के सड़क मार्ग तथा रेल द्वारा परिवहन पर भी कड़ाई से निर्धारित मानकों एवं विद्यमान नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया

जाना अत्यावश्यक है। इस हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित करके टीम गठित की जाय तथा दिनांक 15 जुलाई, 2013 से 07 अगस्त, 2013 तक सड़क मार्गों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं स्थानीय परिवहन के ठिकानों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जाय। अनुमन्य क्षमता एवं निर्धारित मानकों से अधिक विस्फोटक/आतिशबाजी पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही कर अविलम्ब लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अवगत कराया जाय।

6- तदक्रम में दिनांक 15 जुलाई 2013 से 30 सितम्बर 2013 के मध्य प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा संचालित अभियान के तहत तथा दिनांक 15 जुलाई 2013 से 30 सितम्बर 2013 तक परिवहन एवं जी0आर0पी0 द्वारा संचालित अभियान के तहत कृत कार्यवाही की रिपोर्ट/आख्या संलग्न प्रोफार्मा पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र कार्यालय, लखनऊ को दिनांक 11.10.2013 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जो संकलित सूचना शासन को दिनांक 20.10.2013 तक उपलब्ध करायेगें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या (1)व दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, टेढ़ी कोठी, एम0जी0 मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, टीहरी कोठी, एम0जी0 मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन विभाग, उ0प्र0।
6. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 कार्यालय, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त जिला मजिस्ट्रेटों से वांछित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना निर्धारित समयवधि में सचिव, गृह को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

